

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एक शिफ्टी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 389 दिनांक 02/12/2020

प्राथीगण श्री मन्जु भास्कर एल 3 पवन कुमार भास्कर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प.नं- 90 बी सेक्टर श्री कामला

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश नैशनल नगर द्वितीय विभाग

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 10750/- जमा

जारीये रसीद संख्या 9069/3680, 3681

दिनांक 02/12/2020 को जमा करा दी है ।

9/12/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

PKL

3/12/2020

पती +  
आवासीय